

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेल कॉलोनी, भोपाल

क्रमांक

स्था/प्रनिबो/2015

भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अधिसूचित संबंधित नियमों के अन्तर्गत सम्मति / प्राधिकार एवं उनके नवीनीकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही ऑन लाईन प्रक्रिया "नर्मदा एक्स.जी.एन." के माध्यम से संपादित की जा रही है। इस ऑन लाईन प्रक्रिया में कॉमन एप्लीकेशन व कॉमन इन्सपेक्शन का प्रावधान है। अतः जब भी किसी उद्योग/संस्थान का निरीक्षण किया जाये तो निम्नानुसार उल्लेखित सभी नियमों के प्रावधानों के तहत एक ही बार में पूर्ण रूप से कॉमन इन्सपेक्शन किया जावे ताकि सभी संबंधित जानकारियाँ एकबार में प्राप्त हो सके व "नर्मदा एक्स.जी.एन." के माध्यम से साफ्टवेयर में अपलोड हो सके :-

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
4. जीव चिकित्सा अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1998
5. परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम 2008
6. नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000
7. प्लास्टिक वेस्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(ए.ए.मिश्रा)

सदस्य सचिव

भोपाल, दिनांक २० APP २०१५

पृ० क्रमांक ८६९ स्था/प्रनिबो/2015

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रभुख सचिव, म. प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर दिनांक ०९/०४/२०१५ को मुख्यमंत्री कार्यालय में Ease of Doing Business के अन्तर्गत हुई समीक्षा बैठक के परिपालन में कृपया सूचनार्थ।
- 2 निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 3 समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ व पालनाथ।
- 4 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/उपक्षेत्रीय अधिकारी/एकल छिड़की प्रभारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,की ओर सूचनार्थ व पालनाथ।
- 5 आईटी शाखा/गार्ड फाईल।

(ए.ए.मिश्रा)

सदस्य सचिव

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल